न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2017

1. प्रेम कुमार पुत्र खेताराम
2. विनोद कुमार पुत्र बद्रीराम
3. राधेश्याम पुत्र बद्रीराम

जाति मेघवाल निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. दाराराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। — रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 22.08.2017

उपस्थितः—

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जलविन्द्र सिंह भंगू अभिभाषक रेस्पों.सं. 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पां. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 53, 188, 183 का पेश कर चक 26 एम.एम. के खाता सं. 10/10 प.न. 81/197 मु.नं. 3 के कि.न. 15, 16, 24, 25, प.न. 82/197 मु.न. 4 के कि.न. 16 से 25, प.न. 83/197 मु.नं. 5 के कि.नं. 21 कुल 15 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करने, खाता विभाजन करने, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं प्रतिवादीगण को बेदख कर वादी को कब्जा दिलाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। सुनवाई

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने के पश्चात दिनांक 07.04.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये गये। प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 22.08.2017 को अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है, अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2014 (2) आर.आर.टी. 880 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात अधी.न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्रस्ताव मंगाये गये जो प्राप्त होने पर अधी.न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी कर दी जिसमें कोई भूल नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 22.08.2017 के विरूद्ध पेश हुई है, जो अपीलांट को सुने बगैर एक पक्षीय पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय में दावा पेश होकर जबाव दावा पेश होकर तनकियात निर्मित होकर एक पक्षीय दावा डिक्री किया है जबकि अपीलांट द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जो सिविल प्रकिया संहित के आदेश 9 नियम 13 के garb में खारिज करना विधिक नुक्स है, इसी विधि के प्रावधान प्रतिवादी के उपस्थित ही नहीं होने से सम्बन्धित है जबकि अपीलांट हाजिर आया है जबाव दावा पेश किया है तथा अधी.न्यायालय ने निर्णय में तनकियात निर्णिय किये बगैर दावा डिक्री किया है जो सिविल प्रकिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

संहिता के आदेश 20 नियम 5 का स्पष्ट उल्लघन होकर न केवल Bad decision in eyes if law है अपितु defective decision है जो विधिक व्यवस्था अनुसार खारिज योग्य है तथा वादी अभिभाषक द्वारा फार्म संख्या 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है, वादी की साक्ष्य में वह मुख्य परीक्षा के रूप में परिक्षित हुआ है, परन्तु उन पर प्रदर्श नहीं डलवाए है जिसके अभाव में कानून की निगाहों में पढ़ने योग्य नहीं है फिर भी निर्णय में साक्ष्यों के रूप में ग्राहय होना अंकित किया है भी निर्यय का Legal default है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. प्रेम कुमार पुत्र खेताराम
2. विनोद कुमार पुत्र बद्रीराम | जाति मेघवाल निवासी पतली तहसील सादुलशहर
3. राधेश्याम पुत्र बद्रीराम | जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. दाराराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। — रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 108/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर निर्णय दिनांक 22.08.2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 11 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट्स व श्री जलविन्द्र सिंह भंगू अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2017 अपास्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X....) रूपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.12.2017 को जारी किया गया।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)